



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 106-पारे०अनु०-०४/पाट्राकालि-2024-20/2009 टी०सी०-११

दिनांक: 16 फरवरी, 2024

समस्त निदेशक,  
मुख्य अभियन्ता,  
(पारेषण/जानपद),  
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०,  
लखनऊ/आगरा/मेरठ/झाँसी/गोरखपुर/प्रयागराज।

ई-मेल

**विषय: विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, उ०प्र० द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों की कतिपय मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आन्दोलन करने की नोटिस के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रभारी, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ से प्राप्त पत्र संख्या-01/विसकमस/कारपो०, दिनांक 03.02.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, उ०प्र० के द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों की कतिपय मांगों का बार-बार आश्वासन के बावजूद समाधान न होने के दृष्टिगत समस्त जनपद एवं परियोजना पर आन्दोलन करने का नोटिस दिया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित आन्दोलन के दृष्टिगत आवश्यक सतर्कता एवं निवारक उपाय सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक:-यथोपरि।**

भवदीय,

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)

संख्या : 106-पारे०अनु०-०४/पाट्राकालि/2024 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिकासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
4. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
5. अपर सचिव (पारेषण), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप सचिव (पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ✓ 7. अधिकासी अभियन्ता (सं०) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट [www.upptcl.org](http://www.upptcl.org) पर अपलोड करने हेतु।

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)

# विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश



0एस0राय  
अध्यक्ष  
9415026817

केन्द्रीय कार्यालय : जी-107, हमबरा अपार्टमेन्ट, श्यामा चौराहा नरही, लखनऊ (उ.प्र.)

ठाकुर भूपेन्द्र सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष 9927195178	मो0 कासिफ वरिष्ठ उपाध्यक्ष 9017648535	दिनेश सिंह भोले उपाध्यक्ष 7668184014	राममूल सैनी महामंत्री 9012297000	अमित खारी उप महामंत्री 9193330448	एस0सी0 बहादुर संगठन मंत्री 9369498398	विमल चन्द्र पाण्डेय मीडिया प्रभारी 9415461801	पुनीत राय प्रभारी 8174841181
---	---	--	--	---	---	---	------------------------------------

## घटक संगठन

विद्युत संविदा  
मजदूर संगठन उ0प्र0

विद्युत संविदा  
कर्मचारी संघ उ0प्र0

केस्को संविदा  
कर्मचारी संगठन

निविदा/संविदा  
सेवा समिति

दैनिक वेतन  
विद्युत कर्मचारी संघ

MD, PCL/JNL/TCL/JMAL

Sir

(साधना भटनागर)  
प्रमुख निजी सचिव  
अध्यक्ष

06.2.24

966/Gen/24

07/02/24

Dir (P&A), TCL

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 01/विसकमस/कारपो

सेवा में,

अध्यक्ष

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

उ0प्र0 जल-विद्युत निगम लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन एवं केस्को

14-अशोक मार्ग शक्तिभवन लखनऊ।

विषय-1- आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा प्रदेश व्यापी आन्दोलन।

2- आउट सोर्स कर्मियों की मांगों पर माननीय ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा जी को शक्तिभवन में ज्ञापन।

महोदय,

कृपया विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उ0प्र0 द्वारा आपको सम्बोधित पत्रांक 24/विसमस/कारपो0 दिनांक 10.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। सादर अवगत कराना है कि उक्त पत्र में वर्णित मांगों पर आपके साथ महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल की शक्तिभवन में हुई वार्ता में आप द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद कोई भी आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है।

-मांगें-

1. आउट सोर्स द्वारा नियुक्त लाइनमैन तथा एस0एस0ओ0 एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को 25 हजार एवं श्रमिक को 18 हजार रूपया वेतन प्रतिमाह दिया जाय।
2. आउट सोर्स कर्मचारियों को सेवाकाल में विद्युत दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता या अकाल मृत्यु के उपरान्त कम से कम 10 लाख रूपये क्षतिपूर्ति दी जाय।
3. 10 हजार वेतन पर कार्यरत आउट सोर्स एस0एस0ओ0 को हटाकर 30 हजार वेतन पर भूतपूर्व सैनिकों को एस0एस0ओ0 पद पर सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से रखने का आदेश दिनांक 6 जून 2023 को वापस लिया जाय।
4. 15 फरवरी 2015 को आन्दोलन के दौरान 155 आउट सोर्स कर्मियों एवं 10 श्रमिक नेताओं पर किये गये फर्जी मुकदमें वापस लिये जाए।
5. निर्दोश होने के बावजूद विभिन्न कारणों से कार्य से हटाये गये तथा गत मार्च में सघर्ष समिति द्वारा की गयी हड़ताल में शामिल न होने के बावजूद साजिश करके निकाले गये आउट सोर्स कर्मियों को पुनः कार्य पर वापस लिया जाय।
6. आउट सोर्स कर्मियों को कार्य से हटाये जाने का अधिकार पूर्व की भाँति सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक विद्युत वितरण निगम को दिया जाय।
7. आउट सोर्स कर्मियों की सेवा नियमावली बनायी जाय ताकि विद्युत कानूनों के अनुसार सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधानों को लागू किया जाय एवं अन्य सेवा शर्तें जैसे भर्ती, वरिष्ठता आदि के दिशा निर्देश निर्धारित किया जा सके।
8. प्रत्येक जिले में ई0एस0आई0 की सुविधा प्रदान की जाय और हर जिले को इलाज हेतु ई0एस0आई0 अस्पताल से सम्बद्ध किया जाय।

पत्रांक: 106 - पारोअनु-04 पाराकालि / 2024 दिनांक: 3-2-2024  
पत्रावली सं०  
क०स०

दिनांक: 09.02.2024

MD/UPPCL

DS (T-11)

US/5000

So (04)

श्री 02/24  
Sumit


9. आउट सोर्स कर्मियों का सेवाकाल 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया जाय।
10. 5 वर्ष या अधिक वर्षों से आउट सोर्स के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों को रिक्त नियमित पदों पर समायोजित किया जाय।
11. आउट सोर्स कर्मियों से पद के अनुरूप कार्य कराया जाय अकुशल से कुशल का काम न लिसा जाय तथा विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर से पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाय।
12. आउट सोर्स कर्मियों के बहुआयामी कार्य एवं लम्बे कार्य क्षेत्र को देखते हुए मोबाइल एवं आवागमन खर्च की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
13. आउट सोर्स कर्मियों को कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण घायल/अस्थायी/स्थायी विकलांग होने की दशा में वेतन इलाज एवं अन्य सहायता के सम्बन्ध में वर्तमान कानूनों को अनुबन्ध में शामिल करके लागू किया जाय।
14. आउट सोर्स कर्मियों को 200 यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान की जाय।
15. आउट सोर्स कर्मियों का श्रम विभाग में निर्माण कर्मचारियों के रूप में पंजीकरण किये जाने के बजाय बिजली विभाग के परिचालन एवं अनुरक्षण संविदा कर्मी के रूप में पंजीकरण किया जाय।
16. आउट सोर्स कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाय एवं आठ घंटे से ज्यादा काम लेने पर अतिरिक्त घंटों का वेतन दिया जाय।

आपको यह भी अवगत कराना है कि बार बार आश्वासन के बावजूद भी कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का समाधान न होने से संविदा कर्मचारियों में अत्यन्त रोष व्याप्त है। जिस पर घटक संगठनों द्वारा विचार-विमर्श करने के उपरान्त निम्नलिखित आन्दोलन करने का सर्वसम्मति निर्णय लिया गया है।

1. 20 फरवरी 2024 को प्रत्येक जिला/परियोजना पर शान्तिपूर्ण सत्याग्रह एवं सभा।
2. 27 फरवरी 2024 को शक्तिभवन पर शान्तिपूर्ण सत्याग्रह।
3. 27 फरवरी 2024 को अपराहन 3:00 बजे माननीय ऊर्जा मंत्री श्री ए०के० शर्मा जी को शक्तिभवन में ज्ञापन।

सादर प्रेषित

भवदीय

  
(पुनीत राय)

प्रभारी

विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उ०प्र०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय ऊर्जा मंत्री श्री ए०के० शर्मा जी उ०प्र० सरकार लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० पावर कारपोरेशन / ट्रांसमिशन/उत्पदान निगम/जल-विद्युत निगम शक्तिभवन लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम एवं केस्को कानपुर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज,पारीछा, खारा, माताटीला एवं पनकी कानपुर।

(पुनीत राय)

प्रभारी

विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उ०प्र०